


उच्च न्यायालय : मध्यप्रदेश : जबलपुर

//आदेश//

कमांक C/5811;

जबलपुर, दिनांक 08.08 जुलाई, 2024

आदेशानुसार, श्रीमती प्रीति गाडे, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01.12.2023 से दिनांक 31.05.2024 तक का असाधारण अवकाश (Extra Ordinary leave) स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 01.12.2023, 04.01.2024, 01.03.2024, एवं दिनांक 15.04.2024 को निरस्त करते हुए उक्त अवधि का अवैतनिक किया जाता है ।


(संदीप शर्मा)


प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (न्यायिक)

जबलपुर, दिनांक 08.08 जुलाई, 2024

पृष्ठांकन कमांक C/5812

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसीपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ-ग्वालियर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ-ग्वालियर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. सीनियर प्रिंसीपल सिस्टम एनालिस्ट, (एस.ए.) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय म.प्र. की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. ए.ओ. (जे.), लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
5. सहायक अवकाश/स्थापना शाखा, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
6. श्रीमती प्रीति गाडे, एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।


(अनिल कुमार)
रजिस्ट्रार (न्यायिक-1)
जबलपुर, दिनांक 5-8-24